न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 848/2002/दावा

1. भगवानदान उर्फ भवानीदान पुत्र बद्रीदान (मृत)

   1/1 नारायण

   1/2 रिछपाल

   पुत्रगण भगवान दान उर्फ भवानीदान जाति चारण निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. रामसिंह पुत्र बद्रीदान
2. सुगनी देवी बेवा गणेशदान
3. बिहारीसिंह पुत्र गणेशदान

   जाति चारण निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

4. माधोसिंह पुत्र गणेशदान अव्यस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुगनी देवी बेवा गणेशदान जाति चारण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक – 17.05.2017

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की पारिवारिक संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक भूमि पुराने खसरा नं. 2044 रकबा 3.78 है0 व अन्य भूमियां खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। पुराना खसरा नं. 2044 पुराने खसरा नं. 2043(बावड़ी) से सटकर उतर पूर्व में अवस्थित रहा है। उक्त खसरा नं. 2044 का खाता कब्जा व काश्त पूर्व में वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रतिवादी सं. 2 के श्वसुर व प्रतिवादी सं. 3 व 4 के दादा स्व. बद्रीदान था उनके स्वर्गवास के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 उनके उतराधिकारीगण के रूप में उक्त भूमियों पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। अभिनव भू प्रबन्ध के दौरान उक्त पुराने खसरा नं. 2044 के नये खसरा नं. 2682 व 2683 पुराने खसरा नं. 2043 के नये खसरा नं. 2684 रेवन्यू रिकार्ड में अंकित किये गये। नया नक्शा सर्वेशीट (ट्रेस) में खसरा नं. 2683 के स्थान पर 2683 के मध्य नया खसरा नं. 2686 नक्शा सर्वेशीट में अंकित कर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की उपरोक्त भूमि पुराने खसरा नं. 2044 की उतरी पूर्वी दिशा की 0.02 है. भूमि गलत रूप से नये खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

2686 में मिलाकर दर्ज रेवन्यू रिकार्ड में कर दी गई जो निम्नलिखित कारणों से सर्वथा अवैध, अनाधिकृत और प्रभावशून्य है:–

(क) भू प्रबन्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को सक्षम नयालय के निर्णय के बिना किसी भी खातेदार काश्तकार की भूमि अथवा उसका कोई भाग दूसरे किसी के खातेदारी में मिलाने, रेवन्यू रिकार्ड नक्शा सर्वेशीट आदि में हेरा फेरी व परिवर्तन करने का कोई हक अधिकार नहीं है।

(ख) पुराने खसरा नं. 2044 व 2043 की सीमायें आपस में सटकर मिलती है। नये खसरा नं. रेवन्यू रिकार्ड में उक्त भूमियों के मध्य नया खसरा नं. 2656 अंकित कर उक्त भूमियों को एक दूसरे से काफी दूर अवस्थित होना बताया है। अचल संपदाओं को उठाकर दूसरे स्थान पर रखना और उनके स्थानों पर दूसरी भूमियां रखना किसी भी रूप में संभव नहीं है। पुराने रेवन्यू रिकार्ड, पुराना नक्शा, सर्वेशीट नया रेवन्यू रिकार्ड और नक्शा सर्वेशीट को देखने मात्र से उपरोक्त सर्वथा अनाधिकृत गलत अंकन दर्शित है।

(ग) उपरोक्त सर्वेथा अवैध अनाधिकृत गलत अंकन वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना गुप्त रूप से हेराफेरी कर किये गये है। उक्त गलत अंकन प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरीत तथा अवैध है।

(घ) उपरोक्त गलगत अंकनों से वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 खातेदारों, काश्तकारों को अंधेरे में रखने के लिए उपरोक्त भूमियों की पूर्वी सीमाओं को वादी के अन्य भूमियों की ओर दबाकर नक्शा सर्वेशीट में अंकित कर रकबा पूर्ण दर्शित करने की कुचेष्टा की गयी है।

(ड़) रेवन्यू रिकार्ड में गलत अंकन मात्र से अनाधिकृत व्यक्तियों को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है और अधिकृत व्यक्तियों के अधिकार समाप्त नहीं हो सकते है।

2. रेवन्यू रिकार्ड नक्शा सर्वेशीट में उपरोक्त गलत अंकनों की आड़ में प्रतिवादी सं. 5 वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने पर आमादा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के वादग्रस्त भूमि में हित समान है किन्तु वे वर्तमान में यहां न होने के कारण उन्हें औपचारिक पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी सं. 5 के खिलाफ दावा 2 माह का विधिक नोटिस देकर पेश किये जाने का प्रावधान है किन्तु प्रस्तुत मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है। 2 माह का नोटिस देकर वाद नियोजन करने की स्थिति में वाद नियोजन का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा। प्रतिवादी सं. 5 उपरोक्त गलत अंकन की आड़ में वादग्रस्त भूमि पर से वादी को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी के अन्तर्गत न्यचायालय की पूर्व स्वीकृति के वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अलग से आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। वाद कारण वादी को उपरोक्त भूमि का रेवन्यू रिकार्ड नक्शा सर्वेशीट आदि में गलत इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

की आड़ में प्रतिवादी सं. 5 द्वारा विगत 8 दिन पूर्व वादग्रस्त भूमि पर से वादी को कब्जा तत्काल हटा लेने अन्यथा बेदखल करने के लिये कहने और वर्तमान में भी वादी का कब्जा हटाने व वादी को बेदखल करने पर आमदा होने पर उत्पन्न हुआ। अंत में यह अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 5 डिक्री किया जाकर ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवसिथत कृषि भूमि खसरा नं. 2686 में से रकबा 0.02 है0 दक्षिणी भाग जो खसरा नं. 2684 के दक्षिणी पूर्वी खसरा नं. 2683 के उतर में अवस्थित है वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जावें एवं तद्नुसार रेवन्यू रिकार्ड में नक्शा ट्रेस सर्वेशीट में संशोध्न व अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादी सं. 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा मय उनके अधिकारीगण व कर्मचारीगण सहित प्रतिबंधित किया जावें कि वादे वादी को बेदखल करने से बाज रहे।

3. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 3 व 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी का स्वर्गवास होने पर उनके विधिक वारिसान का कायम मुकाम आवेदन पेश होने पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/वादी 1/1 व 1/2 पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 व 4 की ओर से वकील श्री आशीष शर्मा ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित मदों के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है तो प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को कोइ एतराज नहीं है। तहसीलदार, दांतारामगढ से मौके व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ के द्वारा पत्रांक भू.अ./16/4052 दिनांक 25.10.2016 से रिपोर्ट प्रेषित की गई।

4. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील वादीगण व प्रतिवादी गण ने बहस के दौरान वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 5 डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

5. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम खाटूश्यामजी की जमाबंदी एवं संलग्न नक्शा ट्रेश का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम खाटूश्यामजी के खसरा नं. 2683 की सीट से मिलान पुराने खसरा नं. 2044 की नक्शा शीट से करने व मौके पर माप करने पर खसरा नंबर 2683 की पश्चिमी सीमा मौके पर 360 मीटर आती है जो पुराने नक्शा शीट से सही मिलान खाती है। नये नक्शे से पुराने नक्शे का मिलान करने पर भूमि खसरा नंबर 2683 की पश्चिमी सीमा 24 मीटर कम रहती है। इस प्रकार तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 2683 की पश्चिमी सीमा 24 मीटर नक्शे में कम पड़ती है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के पुराने नक्शा शीट के खसरा नं. 2044 के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में खसरा नं. 2683 में पश्चिमी सीमा 24 मीटर दुरूस्त/उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। तद्नुसार राजस्व अभिलेख नक्शे में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

6. यह आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास सत्यवीर यादव, आरएएस

भगवानदान उर्फ भवानीदान बनाम रामसिंह आदि

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 848/2002/दावा निर्णय दिनांक 17.05.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सत्यवीर यादव आरएएस बहाजरी वकील श्री सोहनलाल व शिवपालसिंह मिनजानिब मुद्दई व वकील श्री आशीष शर्मा मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के पुराने नक्शा शीट के खसरा नं. 2044 के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में खसरा नं. 2683 में पश्चिमी सीमा 24 मीटर दुरूस्त/उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। तद्नुसार राजस्व अभिलेख नक्शे में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 मई, 2017 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	9	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 848/2002/दावा

1. भगवानदान उर्फ भवानीदान पुत्र बद्रीदान (मृत)
   1/1 नारायण
   1/2 रिछपाल
   पुत्रगण भगवान दान उर्फ भवानीदान जाति चारण निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. रामसिंह पुत्र बद्रीदान
2. सुगनी देवी बेवा गणेशदान
3. बिहारीसिंह पुत्र गणेशदान
   जाति चारण निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. माधोसिंह पुत्र गणेशदान अव्यस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुगनी देवी बेवा गणेशदान जाति चारण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक – 17.05.2017

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner